पत्र सख्या-स्था0-6-सामान्य-निवाचन पत्रावली/ I/506474/2026 /राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक:: 16-03-2026

समस्त जोनल अपर आयुक्त,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश(जोन-गौतमबुद्ध नगर,
गाजियाबाद-द्वितीय, कानपुर-प्रथम को छोडकर)।

विषय:-निर्वाचन संबंधी ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों को पारिश्रमिक तथा टी0ए0/डी0ए0 के भुगतान के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक निर्वाचन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या-661/61-2025 दिनांक 31.12.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निर्वाचन संबंधी ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों को पारिश्रमिक तथा टी0ए0/डी0ए0 के भुगतान के सम्बन्ध में प्राविधान दिये गये हैं।

अत: निर्वाचन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या-661/61-2025 दिनांक 31.12.2025 की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक:-विभागीय वेबसाइड पर अपलोड ।

Digitally signed by
SUNIL KUMAR VERMA
Date: 17-03-2026
12:34:10

(सुनील कुमार वर्मा)
अपर आयुक्त(प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त ।
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. - अपर आयुक्त, राज्य कर, जोन-गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद-द्वितीय एवं कानपुर-प्रथम ।
2. - अपर आयुक्त(लेखा) राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
3. - अपर निदेशक, राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ ।
4. - संयुक्त आयुक्त(आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को एक प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु ।
5. - आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ ।

संलग्नक:-विभागीय वेबसाइड पर अपलोड ।

Digitally signed by
SATYENDRA KUMAR
Date: 17-03-2026
14:22:16

उपायुक्त(स्था0अरा0) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।

E 3860508   [illegible] 155 2026

1/1186940/2

1099/12/2023-निर्वाचन-निर्वाचन विभाग

संख्या-661/61-2025

प्रेषक,

नवदीप रिणवा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

निर्वाचन अनुभाग   लखनऊ: दिनांक 31 दिसम्बर, 2025

विषयः निर्वाचन संबंधी ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों को पारिश्रमिक तथा टी0ए0/डी0ए0 के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-572/सी0ई0ओ0/3-367/2-95, दिनांक 04 सितम्बर, 2025 एवं पत्र संख्या-658/ सी0ई0ओ0/3-367/2-95, दिनांक 13 अक्टूबर, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में निर्वाचन अनुभाग के शासनादेश संख्या-492/61-2023, दिनांक 25.10.2023 के प्रस्तर-4 के बिन्दु संख्या-C में संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

2- अतः इस सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-464/INST/EPS/2025/Remuneration & TA/DA, दिनॉक 08-08-2025 में दिये गये निर्देश के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-492/61-2023, दिनांक 25-10-2023 के प्रस्तर-4 के बिन्दु संख्या-C में निम्नानुसार संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

VS(R)
VS(SP)
08/1/26

C- पारिश्रमिक की दरें

निर्वाचन संबंधी कर्तव्यों के लिए तैनात सभी निर्वाचन कर्मचारियों के पारिश्रमिक और टीए/डीए की मौजूदा दरें जो क्रमशः उनके लिए लागू हैं, वे निम्नानुसार की जा रही हैं-

03/VS(R)/26
DS(A)
09/01/2026

पारिश्रमिक	
अधिकारियों/कर्मचारियों का पदनाम	पारिश्रमिक की न्यूनतम दर (रुपये में)
जोनल मजिस्ट्रेट (यदि सेक्टर आफिसर के अतिरिक्त तैनात किया गया है)	रूपये 1500/- एकमुश्त (Lump Sum)
पीठासीन अधिकारी और मतगणना पर्यवेक्षक	रूपये 500/- प्रतिदिन अथवा उसके भाग के लिए अथवा रूपये 2000/- एकमुश्त (Lump Sum)
मतदान अधिकारी	रूपये 400/- प्रतिदिन अथवा उसके भाग के लिए अथवा

दीपक
09.1.26

	रूपये 1600/- एकमुश्त (Lump Sum)
मतगणना सहायक	रूपये 450/- प्रतिदिन अथवा उसके भाग के लिए अथवा रूपये 1350/- एकमुश्त (Lump Sum)
ई०वी०एम० की कमीशनिंग, मतदान पार्टियों के भेजे जाने तथा मतदान सामग्री एवं मतगणना आदि में लगाये गये चतुर्थ श्रेणी कार्मिक	रूपये 350/- प्रतिदिन अथवा उसके भाग के लिए अथवा रूपये 1400/- एकमुश्त (Lump Sum)
काल सेन्टर/कन्ट्रोरूम में लगाये गये चतुर्थ श्रेणी कार्मिक	रूपये 1000/- एकमुश्त (Lump Sum)
वीडियो सर्विलांस टीम, वीडियो निगरानी टीम, एकाउटिंग टीम, कन्ट्रोल रूम और कालसेन्टर स्टाफ, मीडिया सर्टीफिकेशन एन्ड मानीटरिंग कमेटी, फ्लाईंग स्क्वायड्स, स्टैटिक सर्विलांस टीम, एक्सपेंडिचर मानीटरिंग सेल	क्लास-I/II रूपये 3000/- एकमुश्त (Lump Sum) क्लास-III रुपये 2000/- एकमुश्त (Lump Sum)
माईको प्रेक्षक	रूपये 2000/- एकमुश्त (Lump Sum)

भोजन / नाश्ता	
सभी मतदान केन्द्रों/मतगणना केन्द्रों पर निर्वाचन सबंधी कार्यो के लिये तैनात किये गये पुलिस कार्मिकों सहित मतदान कार्मिक, मोबाइल पार्टियों के कार्मिक, होमगार्डस, वन रक्षक, ग्राम रक्षक दल, एनसीसी कैडेट्स, भूतपूर्व कार्मिक, स्वयंसेवक आदि हेतु पैक्ड लंच और नाश्ता।	पैक्ड लन्च और नाश्ता या रूपये 500/- प्रतिदिन अथवा उसके भाग के लिए

टी०ए०/ डी०ए०	
लाभार्थियों की श्रेणी	दर
निर्वाचन संबंधी ड्यूटी के लिए तैनात व्यक्तियों हेतु	100% टीए/डीए विधि-1: टीए/डीए का 100% या तो निर्वाचन ड्यूटी पूरी होने के 24 घंटे के भीतर या अग्रिम। विधि-2 टीए/डीए का 80% अग्रिम और 20% निर्वाचन पूरा होने के 30 दिनों के भीतर।

3- निर्वाचन अनुभाग, उ0प्र0 शासन का शासनादेश संख्या-492/61-2023, दिनांक 25-10-2023 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय । शासनादेश दिनांक 25-10-2023 में उल्लिखित शेष शर्तें/निर्देश यथावत् रहेंगे ।

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12 के अशासकीय संख्या-E-12-427-X-2025-26-दिनांक: 30-12-2025 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
NAVDEEP RINWA
Date: 31-12-2025
17:23:39

(नवदीप रिणवा)
प्रमुख सचिव।

संख्या-661(1)/61-2025, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 ।
6. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र० ।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12, उ०प्र० शासन।
9. समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० को इस आशय के साथ प्रेषित कि ये शासनादेश की एक-एक प्रति जिले में स्थित केन्द्र/राज्य सरकार एवं अर्द्धसरकारी संस्थाओं के कार्यालय जहां के कर्मचारियों को मतदान/ मतगणना कार्य में लगाया जाना है, को उपलब्ध करा दें ।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
CHANDRA SHEKHER
Date: [illegible]-2025
17:[illegible]3

(चन्द्र शेखर)
विशेष सचिव।